उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-2/2022/575/एक-1-2022-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 18 अगस्त, 2022

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1006/जि0भू0व्य0सहा0/2021-22, दिनांक 30-12-2021 व पत्र संख्या-486/जि0भू0व्य0सहा0/2022, दिनांक 07-07-2022 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम मोहम्मदगंज तहसील, ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद स्थित ग्राम सभा के गाटा सं0-182/0.060हे0, गाटा सं0-155/0.024हे0 एवं गाटा संख्या-143/0.045हे0 अर्थात् कुल 03 गाटा कुल रकबा 0.129हे0 चकमार्ग के रूप दर्ज भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित संक्रमणीय भूमिधर मै0 पशुपति एडवान्सड फिल्म लि0 नई दिल्ली के नाम दर्ज संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या-181/0.060हे0 एवं गाटा सं0-153/0.069हे0 अर्थात् कुल 02 गाटा कुल रकबा 0.129 हे0 से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था मेसर्स पशुपति एडवान्सड फिल्मस लि0 की भूमि के मध्य स्थित ग्राम मौहम्मदगंज तहसील ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के चकमार्ग गाटा सं0-182/0.060हे0, गाटा सं0-155/0.024हे0 एवं गाटा संख्या-143/0.045हे0 अर्थात् कुल 03 गाटा कुल रकबा 0.129हे0 भूमि संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है।

(2) संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800- अन्य प्रप्तियां-08- मालिकाना राजस्व-0806- प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम मौहम्मदगंज तहसील ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद में विनिमय के माध्यम से संस्था के स्वामित्व की प्राप्त भूमि गाटा संख्या-181/0.060हे0 एवं गाटा सं0-153/0.069हे0 को चकमार्ग के रूप में सुरक्षित रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 2/2022/575 (1)/ एक-1-2022-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।

3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

4- श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, बहैसियत डायरेक्टर, पशुपति एडवान्स फिल्म यूनिट लि0, यूनिट नं0-250, एस/एफ, ब्लॉक नं0- 3, त्रिभूवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।